सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 7, सोमवार, शाके 1937–अप्रेल 27, 2015 *Vaisakha 7, Monday, Saka 1937-April 27, 2015*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 27, 2015

No. F. 2 (34) Vidhi/2/2015.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 17 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and

Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2015" shall be substituted;

(b) for the existing expression "rupees seven thousand five hundred", the expression "rupees fifteen thousand" shall be substituted; and

(c) for the existing expression "rupees one thousand", the expression "rupees one thousand two hundred" shall be substituted.

3. Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-C of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st August, 2014", the expression "1st April, 2015" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "rupees three thousand five hundred", the expression "rupees six thousand two hundred twenty five" shall be substituted.

4. Amendment of section 8-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 8-C of the principal Act, for the existing expression "rupees forty thousand per month", the expression "rupees fifty thousand per month" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2015.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 27, 2015

संख्या प. 2 (34) विधि/2/2015.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान लेजिसलेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स

इमोल्यूमेन्ट्स एण्ड पेंशन) (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2015 (एक्ट नं. 17 ऑफ 2015)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 17)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं 6), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4-क की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2015" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "सात हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पन्द्रह हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2014" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2015" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह हजार दो सौ पच्चीस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8-ग की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2015 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

4

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।